राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.5(11)नविवि/II/2020 **जयपुर, दिनांकः** 29 OCT 2021

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 (उक्त नियमों को न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर आज्ञा क्रमांक प. 1(10)नविवि/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम– 24–ए उप नियम (ii)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 8(22)नविवि/75 पार्ट दिनांक 18.5.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 22.10.2021 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार निम्नांकित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल) को मुख्य अभियन्ता के पद पर वेतनमान 37400–67000 पी.बी.–4 एल–24 में एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है : –

क्र.सं.	पदोन्नत राजसेवक का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री पी.के. जैन	2021–22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी
2.	श्री महेन्द्र कुमार माथुर	2021–22	पदोन्नति दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी
3.	श्री ओ.पी.वर्मा	2021–22	पदोन्नति दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी

उपरोक्त अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उक्त अभियन्ता अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा/अलवर
6. संबंधित अधिकारी...।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

सहायक शासन सचिव–द्वितीय

Scanned with CamScanner